न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 07/2024
अनवान : –

1. सावित्री पत्नी विजयसिंह पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी श्योपुरावास त0 भादरा। –प्रार्थीया

बनाम्

1. चमेली पत्नी रामेश्वर जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
2. छोटू पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
3. देवेन्द्र यादव पुत्र रोहताश जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
4. पप्पू पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
5. मनोहर पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
6. रविन्द्र यादव पुत्र रोहताश जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
7. लक्ष्मी देवी पत्नी रोहताश जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
8. सत्यवान पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
9. सुनिता पत्नी छोटुराम जाति अहीर निवासी डुंगरवास त0 भादरा।
10. तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए
उपस्थिति :–श्री राजेश गोदारा प्रार्थी
श्री लिलाधर अग्रवाल अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बीएचडी के खाता सं0 115/110 के मु0न0 25 के किला न0 25 मु0न0 26 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 39 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1,2/2, 3/1, 3/2 मु0न0 40 के किला न0 5/1, 5/2, 6 की 2.7830है0 प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में खातदारी दर्ज है।

प्रार्थीया के चिपते ही चक 4 बीएचडी के खाता सं0 24/28 के मु0न0 19 के किला न0 24/2, मु0न0 26 के किला न0 2, 9 ता 12की कुल 1.3660है0 अप्रार्थीगण की मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी के मु0न0 26 के किला न0 2, 9, 12 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण चालू रास्ते का उपयोग करती है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता से आवागमन करने हेतु अप्रार्थीया को रोक रहे है यदि उक्त रास्ता बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगी। इसलिए उपरोक्त किलाजात में प्रार्थीया [illegible] करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] के जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। तहसीलदार भादरा से मौका रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.11 16:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के मु0न0 26 के किला न0 2, 9, 12 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण चालू रास्ते का उपयोग करती है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीया के लिए महज सुविधा हेतु नहीं है जबकि प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक है। अतः प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किये जाने का निवेदन है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीया की सुविधा के लिए है उक्त रास्ता के अलावा भी मु0न0 26 के किला न0 24–25 एवं मु0न0 39 के किला न0 4–5 में रास्ता लगता है जो अप्रार्थीया की खातेदारी से महज 3 किमी दूरी पर है। रास्ता संबंधी नियमों में प्रार्थीया को नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता दिया जाता है ना कि अधिक दूरी पर स्थित रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया सव्यय खारीज किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व मौका रिपॉर्ट एवं जवाब का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी रोही मौजा चक 4 बीएचडी के खाता सं0 115/110 के मु0न0 25 के किला न0 25 मु0न0 26 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 39 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1,2/2, 3/1, 3/2 मु0न0 40 के किला न0 5/1, 5/2, 6 की 2.7830है0 प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में खातदारी दर्ज है में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी मु0न0 26 के किला न0 2, 9, 12 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण से रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। मुताबिक तहसीलदार भादरा रिपॉर्ट क्रमांक राजकाज रैफ. 7294697 दिनांक 17.05.2024 के अनुसार प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता से आवागमन होना एवं चालू रास्ता दर्शाया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 4 बीएचडी के मु0न0 26 के किला न0 2, 9, 12 के पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण एक–एक गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर एवं रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समीति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

आज दिनांक 06-09-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/09/24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.11 16:51:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner